भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.03.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3050 का उत्तर

रेल कौशल विकास योजना

3050. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के आधुनिकीकरण और कवच जैसी नई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए कोई विशिष्ट कौशल विकास और प्रमाणन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे जोन में "रेल कौशल विकास योजना" के अंतर्गत उक्त समुदायों के कितने प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है;

(ग) एमएसएमई नीति के अंतर्गत रेलवे निविदाओं में उक्त श्रेणियों के उद्यमियों और ठेकेदारों को प्रदान की जा रही वित्तीय रियायतों और छूटों (जैसे ईएमडी छूट) की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन समुदायों के विक्रेताओं को कुल कितने ठेके दिए गए हैं और उनका वित्तीय मूल्य क्या है और सरकार द्वारा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या नई पहल की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल में एक व्यापक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र है, जो रेल कर्मचारियों के कौशल विकास, पुनर्कौशल विकास और उन्नत कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए कैरियर के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण व्यव सुविधाओं की विभिन्न स्थितियां स्पष्ट करती है। इसे संभव बनाने के लिए, भारतीय रेल ने क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विस्तृत अवसंरचना विकसित की है।

सभी नए भर्ती किए गए या पदोन्नत कर्मचारियों को चाहे उनकी श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य आदि) कुछ भी हो। उनके कैरियर के विभिन्न चरणों में एक ही संरचित प्रशिक्षण फ्रेमवर्क से गुजरना होता है, इसमें नई भर्ती के लिए आरंभिक प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण (जैसे 'कवच' जैसी नई तकनीकों पर प्रशिक्षण आदि) शामिल हैं, जो उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण मानक और अवसर सभी कर्मचारियों के लिए समान हैं, जिससे विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण में समानता सुनिश्चित होती है और रेल कर्मी आधुनिक, तकनीकी-गहन परिचालन के लिए आवश्यक कौशल से समर्थ होते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल शिक्षुता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने विभिन्न संस्थानों जैसे उत्पादन इकाइयों, कारखानों, लोको शेड, सवारी एवं मालडिब्बा डिपो आदि में प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती है, जिससे सभी श्रेणियों के स्थानीय युवाओं के कौशल विकास में सहयोग मिलता है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से, सभी श्रेणियों के युवा नए प्रकार के कौशल प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी रोजगार योग्यता और उद्यमिता क्षमता बढ़ती है। प्रत्येक निर्दिष्ट ट्रेड के लिए प्रशिक्षण स्थानों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण शिक्षुता नियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार है।

साथ ही, युवाओं के रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने 'रेल कौशल विकास योजना' शुरू की है, जो देशभर में फैले क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के 103 प्रशिक्षण केंद्रों पर, 16 तकनीकी ट्रेडों को शामिल करने वाला एक अखिल-भारतीय प्रवेश-स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्गों से पर्याप्त भागीदारी प्राप्त की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई), भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) द्वारा निर्मित माल और प्रदत्त सेवाओं के लिए रियायत व छूट (जैसे ईएमडी) सहित सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, भारतीय रेल ने अपनी प्रापण प्रक्रिया में इस नीति को अपनाया और लागू किया है। अ.जा./अ.ज.जा. स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या	मूल्य (₹ लाख में)
2024-25	55	784.29
2025-26 (अब तक)	60	5452.71

******